संख्या- पी-119/14-2-2017-800(17)/2017

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक, 15 दिसम्बर 2017

विषय:- रामपुर में स्वार-विलासपुर मार्ग किमी0 13 की बायीं पटरी पर ग्राम मेंहदीनगर तहसील स्वार के खसरा सं0 132 पर एच0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.060548 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-850/रामपुर/27293/2017 दिनांक 22-09-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- विषयगत प्रकरण के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्ताव में अनेक प्रमाण पत्रों पर हवाइटनर से मिटाकर ओवरराइटिंग की गयी है, जिसे प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं किया गया है, जो उचित नहीं है। अतएव मूल प्रस्ताव इस आशय से वापस किया जाता है कि कृपया परीक्षण करते हुये सम्बंधित प्रमाण पत्रों में हुये करेक्सन को प्रतिहस्ताक्षरित कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अनुसचिव

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1670 /रामपुर/27293/2017, दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर 21, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि शासन के निर्देशानुसार कटिंग को प्रमाणित कर उक्त अभिलेखों को पुनः ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव संशोधित करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1– वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, रामपुर।

(आर0 आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।